Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to provide Rajasthan its due share of Sutlej river water - Laid

श्री निहाल चन्द (गंगानगर) मैं केन्द्र सरकार का ध्यान भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड की तरफ दिलाने का आग्रह करूँगा। इसका पहला अंतर्राज्यीय जल समझौता 29 जनवरी, 1955 को हुआ और राजस्थान प्रदेश को अपने हिस्से का पानी 8.6 MAF मिलना तय हुआ। हरियाणा व पंजाब के पृथक राज्य बनने के बाद पंजाब से राजस्थान को अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 13 जनवरी, 1959 को राजस्थान व पंजाब के बीच सतलुज नदी के पानी को लेकर समझौता हुआ, फिर भी राजस्थान को हिस्से का पूरा पानी नहीं मिला। 31 दिसम्बर, 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी की अध्यक्षता में राजस्थान व पंजाब के मुख्य मंत्रियों के बीच समझौता हुआ, जिसमें सतलुज नदी का पानी राजस्थान को देने का समझौता हुआ। आज भी पंजाब, राजस्थान को पूरा पानी नहीं दे रहा है। अंतर्राज्यीय जल समझौते के अनुसार राजस्थान को 8.6 MAF पानी आवंटित हुआ था, परंतु पंजाब आज भी 8.6 MAF पूरा पानी भी राजस्थान को नहीं दे रहा है। 24 जून, 1985को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गॉधी ने तीनों (राजस्थान, पंजाब व हरियाणा) राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में राजस्थान को पूरा पानी (8.6 MAF) देने का आश्वासन दिया था, परंतु आज तक पूरा पानी नहीं दिया गया।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में मध्यस्तता कर पंजाब से पूरा पानी राजस्थान प्रदेश को दिलवाने में मदद करे एवं आज तक भाख़डा व्यास प्रबंधन बोर्ड में पंजाब व हरियाणा का सदस्य ही नामित हुआ है, राजस्थान से एक बार भी सदस्य नामित नहीं हुआ, जबकि समझौते के अनुसार ऐसा होना चाहिए था। राजस्थान का सदस्य भी भाखड़ा-व्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) में नामित हो, ऐसा केन्द्र सरकार से आग्रह करूँगा।